न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालेसर
(जिला – जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :–श्री भवानी सिंह , आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 10/2019
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2019/00040

अपीलान्ट

1. जसुकंवर पुत्री रूपसिंह पत्नी मिश्रीलाल निवासी फिच तहसील लूणी जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. गजरकंवर पत्नी रूपसिंह निवासी लोडता अचलावता तहसील बालेसर
2. सरपंच ग्राम पंचायत लोडता अचलावता जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत बारनाउ नामान्तरकरण संख्या 253 दिनांक शुन्य के विरूद्व अपील

अधिवक्तागण :–

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री हनवन्तसिंह भाटी।
2. रेस्पोडेन्टगण 1 से 2 अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 11/2/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा एक म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है:–

अपीलान्ट के पिता रूपसिंह के नाम खसरा नम्बर 295 मीन, 162, 162, 165, 294 भूमि मौजा लोडता हरिदासोत मे आई हुई थी जिसमे अपीलान्ट के पिता का 1/2 हिस्सा था। अपीलान्ट के पिता के पुत्री अपीलान्ट है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपीलान्ट की माता है। अपीलान्ट के पिता का देहान्त होने के बाद अपीलाधीन नामान्तकरण को ग्राम पंचायत द्वारा गलत तरीके से बिना जांच किये नामान्तकरण भर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर भरा गया नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट रूपसिंह की जायन्दा पुत्री है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार अपीलान्ट स्वर्गीय रूपसिंह की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। प्रथम उत्तराधिकारी होने से स्वर्गीय रूपसिंह के हिस्से की भूमि मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के साथ अपीलान्ट भी प्रथम श्रेणी की वारिस है। अपीलान्ट द्वारा विवादित नामान्तकरण संख्या 253 को अपास्त करने का अनुरोध किया गया है।

अपील के साथ अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलान्ट ने निवेदन किया है [illegible] अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय रूपसिंह का देहान्त हो चुका है। अपीलान्ट स्वर्गीय [illegible] हल्का पटवारी द्वारा नाओलाद लिखकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण [illegible] किया गया है जो गलत है। अपीलान्ट ने हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी नकल लेने हेतु निवेदन किया तब हल्का पटवारी ने बताया कि आपका रेकर्ड मे नाम नही है। इस पर अपीला[illegible] को आश्चर्य हुआ तब दिनांक [illegible].02.

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:06:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

2019 को हल्का पटवारी को जमाबंदी नामान्तकरण की नकल लेने का निवेदन किया उसी नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने पर इस प्रकरण की जानकारी हुई। अपीलान्ट अनपढ महिला है। अपीलान्ट द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगणों को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोडेन्टगण न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में बहस की गई। बहस सूनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया एवं वादग्रस्त आराजी को अपने पिता की भूमि बताते हुए उसमे अपीलान्ट का भी हिस्सा होने के तर्क दिये गये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के संलग्न धारा 05 म्याद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका अवलोकन किया गया। मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित कारणों पर भी मनन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपने मियाद प्रार्थना पत्र मे अंकित किया गया है कि उनको विवादित नामान्तकरण की सर्वप्रथम जानकारी 19.02.2019 को हुई थी। विवादित नामान्तकरण का अवलोकन किया गया। विवादित नामान्तकरण संख्या 253 हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 08.06.1984 को भरा गया था जिस पर आई.एल.आर द्वारा दिनांक 16.06.1984 को टिप्पणी की गई है। अपीलान्ट द्वारा 35 वर्ष बाद विवादित नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा इतने वर्ष पश्चात् अपील पेश करने का कोई ठोस कारण अपनी अपील या म्याद प्रार्थना पत्र मे अंकित नही किया गया। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया जिसमें समस्त सहखातेदारों को उक्त पत्रावली मे पक्षकार नही बनाया गया है। अतः प्रस्तुत अपील उक्त विवेचन के आधार पर पोषणीय नही होने से अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक 11/2/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर

(भवानी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:06:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner